न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—18/2018 (2018/00037) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गोपीलाल पिता छोगा दादा भूरा गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—अम्बालाल पिता हजारी गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—गेहरीलाल पिता हजारी गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—नारायण पिता गोदु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—देवीलाल पिता हरलाल गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—तुलछा पिता केरिंग गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—नाथु पिता अमरा गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—सोहन पिता कालु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—नानु पिता सवाईराम गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—लेहरू पिता सवाईराम गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—नारायण पिता सवाईराम गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—मांगीलाल पत्नि सवाईराम गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—नारायण पिता मोती गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—बरदा पिता चतरा गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—गोपी पिता चतरा गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—किशन पिता उंकार गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—मांगु पिता उंकार गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—भैरू पिता नानु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—सोहन पिता नानु गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—कालु पिता पेमा गाडरी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—हजारी पिता उम्मेदा बलाई निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—ज्वारा पिता उम्मेदा बलाई निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—सुवा पिता उम्मेदा बलाई निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

आसन स्थान मण्डी जरिये पुजारी

1—नेनुदास पिता केशुदास निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—शंम्भुदास पिता केशुदास निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. महेश दाद्दीच — अधिवक्ता विपक्षीगण

दिनांकः—16.12.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या एक से चार की मौरूषी पैतृक खातेदारी कृषि आराजियात ग्राम गलवा के बेरून हल्का आबादी में स्थित सा. आ.स. 739 रकबा 10 बिस्वा, आ.स. 740 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल कित्ता दो कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जो प्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्वज भूरा, रामा,

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:09:01 IST
Reason: SelfAttested

पोखर पिता नंदा गाडरी के नाम मेवाड स्टेट के समय से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 5 से 12 के खातेदारी अधिकारों की पैतृक मौरूषी सा.आ.स. 741 रकबा 1 बीघा, आ.स. 742 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। जो प्रार्थी संख्या 5 से 12 के पूर्वज केरिंग, अमरा पिता तिलोक, सवाईराम पिता लखमा गाडरी के नाम मेवाड स्टेट के समय से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 13 से 15 के खातेदारी की पैतृक मौरूषी सा.आ.स. 737 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा आ.सं. 738 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमी स्थित है जो प्रार्थी संख्या 13 से 15 के पूर्वज जालु पिता भैरा गाडरी के नाम मेवाड स्टेट के समय से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज ली आ रही है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 16 से 20 के खातेदारी अधिकारों की पैतृक मौरूषी सा.आ.स. 733 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा आ.सं. 734 रकबा 12 बिस्वा आ.सं. 735 की 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमी स्थित हैं। जो प्रार्थी संख्या 16 से 20 के पूर्वज धीसा पिता उम्मेदा गाडरी के नाम मेवाड स्टेट के समय से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है। इसी तरह प्रार्थी संख्या एक से बीस के खातेदारी अधिकारों की पैतृक मौरूषी सा.आ.सं. 736 रकबा 1 बीघा कुल किता 1 कुल का बीघा भूमी स्थित है। जो प्रार्थी संख्या एक से बीस के पूर्वज भूरा, रामा, पोखर पिता नंदा, केरिंग, अमरा पिता तलोक, सवाईराम पिता लखमा, जालु पिता भैरा, घीसा पिता उदा गाडरी के नाम मेवाड़ स्टेट के समय से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही हैं। इसी तरह इसी तरह प्रार्थी संख्या 21 से 23 के खातेदारी अधिकारों की पैतृक मौरुषी सा.आ.स. 790 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा आ.सं. 801 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आ.स. 802 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमी स्थित हैं। जो प्रार्थी संख्या 21 से 23 के पूर्वज धीसा पिता हेमा बलाई के नाम मेवाड़ स्टेट के समय से राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है। प्रमाण में साबिक जमाबंदी मेवाड स्टेट के समय की सम्वत 2002 व सम्वत 2009 से सम्वत 2049 की प्रमाणित साबिक जमाबंदी प्रार्थनापत्र के साथ पेश की है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित साबिक कृषि आराजियात प्रार्थीगण को मौरूषी पैतृक कृषि आराजियात हैं जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज मेवाड स्टेट के समय से खातेदारी हक से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व उनके पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण उक्त कृषि आराजियात पर निरंतर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। मेवाड़ स्टेट के पश्चात राजस्थान का निर्माण होने पर खाते रिज्युम होने प प्रार्थीगण के पूर्वजों को प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित भूमियों में खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए गए। प्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्वज भूरा के धन्ना, गिरधारी, गोपी हुए जिसमें से धन्ना, गिरधारी लाऔलाद फौत हो गए तथा रामा के हजारी व हजारी के प्रार्थी संख्या दो तीन तथा पोखर के हीरा व हीरा के चुना व गोदु हुए जिसमें से चुना नाऔलाद फौत हो गया। सा.आ.स. 739, 740 में प्रार्थी संख्या एक का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या दो से तीन का 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थी संख्या 5 से 12 के पूर्वज केरिंग, अमरा पिता तिलोक तथा सवाईराम पिता लखमा थे। केरिंग के हरलाल, खुमा, तुलछा, पेमा हुए जिसमें से खुमा लाऔलाद फौत हो गया तथा पेमा गोद चला गया व हरलाल के देवीलाल हैं। अमरा के नाथु व कालु हुए तथा कालु के सोहन हुआ सवाईराम के प्रार्थी संख्या 9 से 12 है। सा.आ.स. 741, 742 में प्रार्थी संख्या पांच से आठ का 1/2 हिस्सा, प्रार्थी संख्या नौ से बारह का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी संख्या 13 से 15 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:09:01 IST
Reason: SelfAttested

पूर्वज जालु के मोती व चतरा हुए तथा मोती के नारायण व चतरा के बरदा गोपी है। सा.आ. स. 737, 738 में प्रार्थी संख्या 13 का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 14 से 15 का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी संख्या 16 से 20 के पूर्वज घीसा के उकार व गोकल हुए तथा उकार के प्रार्थी संख्या 16 17 तथा गोकल के नानू व पेमा हुए। नानु के प्रार्थी संख्या 18 से 19 व पेमा के प्रार्थी संख्या 20 हुए सा.आ.सं. 733, 734, 735 में प्रार्थी संख्या 16, 17 का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 18 से 20 का 1/2 हिस्सा है। सा.आ.स. 736 से प्रार्थी संख्या 1 से 4 का 1/3 हिस्सा प्रार्थी संख्या 5 से 12 का 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 13 से 20 का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थी संख्या 21 से के पूर्वज घीसा के उम्मेदा, एकलिंग, धन्ना हुए। उम्मेदा के प्रार्थी संख्या 21 से 23 हैं। एकलिंग व धन्ना ने उक्त भूमियों से अपना हिस्सा तर्क कर अन्य भूमियों में से अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया जिससे उक्त भूमियों में उनका कोई हक एवं हिस्सा नहीं है। आ.सं 790, 801, 802 में "प्रार्थी संख्या 21 से 23 का हिस्सा है। आ.सं. 801, 802 को मेवाड़ स्टेट के समय उम्मेदा पिता घीसा बलाई में तत्कालीन मालिक आसन स्थान मण्डी नाथ गुरु गुलाब आयस से पट्टे के जरिए क्रय कर कब्जा किया तब से उक्त भूमी पर प्रार्थी संख्या 21 से 23 काबिज होकर काश्त कर रहें हैं तथा प्रार्थी संख्या 21 से 23 को खातेदारी अधिकार दे दिए गए। उक्त क्रय के पश्चात ना.स. 224 दिनांक 3.7.68 उम्मेदा के नाम दर्ज किया गया। वादग्रस्त कृषि आराजियात जिसका वर्णन प्रार्थनापत्र की कलम संख्या में किया गया है उक्त संपूर्ण भूमियां प्रार्थीगण की मौरूषी पैतृक कृषि भूमियां है जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज मेवाड़ स्टेट के समय से और उनके पश्चात प्रार्थीगण निरंतर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसे 70 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। विपक्षीगण का उक्त भूमियों में कोई हक एवं हिस्सा नहीं है तथा न ही विपक्षीगण का कभी कब्जा ही रहा सम्वत 2046 से 2049 में राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र 192/75–100 दिनांक 30.1.92 जारी किया गया जिसकी पालना में मूर्ति व स्थान देह की भूमियों से पूजारियों के नाम हटाने थे परंतु राजस्व कर्मचारियों ने गफलत एवं लापरवाही से प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज जिनको खातेदारी अधिकार प्राप्त थे उनके भी नाम खाते से हटा दिए तथा भूमियों को आसन स्थान मंडी के नाम दर्ज कर दिया जबकि विपक्षीगण का वादग्रस्त भुमियों में कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं तथा न ही विपक्षीगण का वादग्रस्त भूमियों पर कभी कब्जा रहा य न वर्तमान में हैं। तहसील रायपुर में भुप्रबंध होने पर ग्राम गलवा में भी भुप्रबंध हुआ जिससे प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित साबिक आराजियात के नवीन नम्बर कायम किए गए जो निम्न है आ.स. 1129 रकबा 0.31 हैक्ट आ.सं. 1130 रकबा 0.13 है0, आ.स. 1131 रकबा 0.07 है0, आ.सं. 1132 रकबा 0.22 है0, आ.सं. 1133 रकबा 0.26 है0, आ.सं. 1134 रकबा 0.09 है0, आ.सं. 1135 रकबा 0.11 है0, आ.सं. 1136 रकबा 0.27 है0, आ.सं. 1137 रकबा 0.22 है0, आ.सं. 1138 रकबा 0.13 है0, आ.सं. 1203 रकबा 0.69 है0, आ.सं. 1214 रकबा 0.74 है0, आ.सं. 1215 रकबा 0.16 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.39 है0 कायम किए गए। प्रमाण में नकल जमाबन्दी व मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त वर्णित भूमिया मे से प्रर्थीगण का नाम खातेदार काश्तकार से हटा देने के बावजुद भी प्रार्थीगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नवीन आराजी संख्या 1129 से 1138, 1203, 1214, 1215 कुल किता 13 रकबा 3.39 है0 में प्रार्थीगण का नाम खातेदार काश्तकार से हटा देने के बाद भी वादग्रस्त भूमियों पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है खातेदारो का नाम गलत व अवैध रूप से हटाये गये है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 24.05.2007 को परिपत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:09:01 IST
Reason: SelfAttested

जारी कर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खड़मदार के रूप में दर्ज थी उन खातेदारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित योग्य है। विपक्षी जबरन प्रार्थीगण को बेखल करना चाह रहे है। प्रार्थीगण का प्रथम दुष्टया मामला है सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में अगर विपिक्षीगण प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर देंगे तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई असंभव है। अतः प्रार्थीगण की ओर से सादर निवेदन है कि बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि ग्राम गलवा की नवीन आराजी संख्या 1129 से 1138, 1203, 1214, 1215 कुल किता 13 रकबा 3.39 है0 भूमि में प्रार्थीगण को फसल काश्त कर फसल लाभ लेने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न अन्य से करावे। और प्रार्थीगण को बेदखल नही करें यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीगण को उनके हक एवं हिस्से से तथा कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल कर दे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के पुनः प्रार्थीगण को कब्जा दिलाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 09.04.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार नही है प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या मदमकसुद तथ्य अकिंत किये है वादवर्णित भूमि आराजी संख्या 739 व 740 मेवाड़ रियासत के समय मंदिर मुर्ति नाबालिक के नाम अभिलिखित थी तथा मूर्तहीन काबिज तत्कालीन आसन नाथु आयस जी गुलाब गुरू के नाम अभिलिखित थी जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही था साबिक आराजी संख्या 741 व 742 भी प्रार्थीगण के नाम नही रही बल्कि आसन मण्डी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। साबिक आराजी संख्या 737 व 738 भी आसन मण्डी के नाम दर्ज थी। इसी तरह अन्य आराजियात भी आसन मण्डी के नाम दर्ज थी। प्रार्थीगणो का कोई कब्जा नही है। और न ही किसी प्रकार का हिस्सा बनता है। राजस्थान का निर्माण हुआ उक्त भूमियां आसन मण्डी के नाम बेहैसित खातेदार अभिलिखित हो गई। दिनांक 30.01.1992 को प्रार्थीगण के नाम नही थे परिपत्र 24.05.2007 के आधार पर अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का नाम पट्टेदार के रूप नही रहा है। अतिरिक्त कथन के रूप मे अकित किया कि प्रार्थीगण का वाद अस्पष्ट एवं मोगिम है। प्रार्थीगण ने कोई सजरा नही दिया न ही मृतक पुत्रीया की ओर से वाद पेश किया भूमियां मेवाड़ रियासत के समय से ही मूर्ति आसन मण्डी के नाम बेहसियत खातेदार चली आ रही है किन्तु प्रार्थीगण भूमि हड़पने की गरज से झुठा वाद पेश किया जो खारीज योग्य है। आसन मण्डी देव स्थान से पंजीकृत धरमार्थ ट्रस्ट है जिसके विरूद्व वाद पेश करना चाहिये लेकिन बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण ने पुजारी की व्यक्तिगत हैसियत वाद पेश किया है। वादवर्णित भूमियां आसन देह मूर्ति के नाम दर्ज है। खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अकिंत विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। वर्ष 1992 में राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार पुजारी मानकर नाम हटा दिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:09:01 IST
Reason: SelfAttested

गया है। जिसे पुनः दर्ज कराने हेतु वाद पेश किया गया है और विचाराधीन वाद के दौरान विपक्षीगण प्रार्थीगण को बेदखल नही करे इसके लिये विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि संयुक्त वाद पेश किया गया और संयुक्त वाद का कारण नही बनता है। प्रार्थीगण द्वारा साबिक खातेदारान का सजरा प्रस्तुत नही किया गया है। साबिक रेकार्ड में प्रार्थीगण का कोई इन्द्राज नही है भूमि आसन मण्डी के नाम दर्ज थी आज भी भूमि देवस्थान के नाम दर्ज है। प्रार्थीगणो द्वारा खातेदार में बहिनो को पक्षकार नही बनाया गया है जिसका विस्तृत विवरण जवाबदावे में दिया गया है उपरोक्त स्थिति के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेन्ट के दौरान संवत 2002 में आराजी संख्या 790 आसन मण्डी कॉलम 2 में दर्ज होकर खातेदार के रूप में प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। आराजी संख्या 801, 802 आसन मण्डी के नाम पर दर्ज होकर खातेदार के रूप में खुद काश्त है। आराजी संख्या 736 जमाबंदी के कॉलम 2 में नाम मालिक के रूप में आसन मण्डी दर्ज होकर कॉलम 3 खातेदार के रूप में भुरा, रामा, पोखर पिता नन्दा जो प्रार्थीगण के पूर्वज है के नाम खातेदारी के रूप मे दर्ज है। इसी तरह आराजी संख्या 733, 734, 735, 737, 738, 739, 740, 741, 742 भी कॉलम 2 में नाम मालिक के रूप में आसन मण्डी दर्ज होकर कॉलम 3 में खातेदार प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम दर्ज रेकार्ड है। इन्ही आराजियात से सम्बन्धित एक वाद आसन मण्डी की ओर से विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में कानुनी पेचिदगी आगे नही बढ़े इसको ध्यान में रखते हुए रेकार्ड और मौके की यथास्थिति रखी जाना उचित समझता हुँ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम गलवा की नवीन आराजी संख्या 1129 से 1138, 1203, 1214, 1215 कुल किता 13 रकबा 3.39 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि मूलवाद के निर्णय तक विवादित आराजियात के मौके की जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है उसको यथा स्थिति बनाई रखे, कोई भी पक्ष एक दुसरे के कब्जे में दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:09:01 IST
Reason: SelfAttested